न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 69/2023

1. राजकुमार पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. हवासिंह पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. गोविन्द पुत्र हवासिंह जाति जाट नाबालिग जरिये वली पिता हवासिंह पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. सत्यवान पुत्र राजकुमार जाति जाट नाबालिग जरिये वली पिता राजकुमार पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र धनपत जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री बलवंत सिंह- **प्रार्थीगण**

वकील श्री किशनलाल यादव - **अप्रार्थी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक : 22.02.24**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 8 जे0एस0एल0 के खाता सं0 158/91 के मु0न0 86 कि0न0 11, 20, 21, मु0न0 87 कि0न0 2, 3, 7 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0न0 98 कि0न0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, मु0न0 99 कि0न0 1/1, 1/2, मु0न0 103 कि0न0 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु0न0 104 कि0न0 18 ता 23 की कुल 8.2740है0 मय रास्ता व खाला तथा ग्राम भिरानी के खाता सं0 251/142 के मु0न0 393 कि0न0 5, 6, 15, 16, मु0न0 394 कि0न0 1 ता 20, मु0न0 395 कि0न0 1, 2/1, 2/2, 3 ता 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, मु0न0 462 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, मु0न0 463 कि0न0 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15 की कुल 11.8910है0 मय रास्ता की वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वादभूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामिल खाते की कृषि भूमि है। कृषि भूमि शामिल खाते की होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सींव, डोल व लगान को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थीगण वादभूमि का अच्छी मंदी के अनुसार खाता व लगान करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होना चाहते है व उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज हो जाते है व वाद भूमि को किसी भूमाफिया गिरोह को बेचान करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई सींव डोल, लगान बाबत तकाजा नहीं रहता है। वादभूमि का आज से करीब 70 साल पहले प्रार्थीगण के पिता बलवन्त व अप्रार्थीगण के पिता धनपत के समय ही भूमि का बंटवारा कर लिया था तब से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग अलग सींव डोल बनाकर अलग अलग काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण कतई अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज नहीं होना चाहते है। अप्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि पर अपने पिता के समय से जहां पर काबिज थे उसी पर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन बैय व बेचान करने का पूर्ण हक व अधिकार

Pratam
सहायक कलक्टर
भादरा(हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थीगण ने महज अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए दावा व दरख्वास्त पेश की है। प्रार्थीगण ने अपनी सुविधा व जरूरत के मुताबिक पूर्व में भूमि विक्रय कर रखी है तथा भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है तो वह अन्य खातेदार को उसके हिस्से की भूमि को रहन बैय करने से पाबंद नहीं करवा सकता है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वादभूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामिल खाते की कृषि भूमि है। कृषि भूमि शामिल खाते की होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सींव, डोल व लगान को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थीगण वादभूमि का अच्छी मंदी के अनुसार खाता व लगान करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होना चाहते है व उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज हो जाते है व वाद भूमि को किसी भूमाफिया गिरोह को बेचान करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। न्यायिक दृष्टांत के रूप में वकील प्रार्थीगण ने आरआरडी 1995, आरआरडी oct 2006 पेश की।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई सींव डोल, लगान बाबत तकाजा नहीं रहता है। वादभूमि का आज से करीब 70 साल पहले प्रार्थीगण के पिता बलवन्त व अप्रार्थीगण के पिता धनपत के समय ही भूमि का बंटवारा कर लिया था तब से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अलग अलग सींव डोल बनाकर अलग अलग काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण कतई अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज नहीं होना चाहते है। अप्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि पर अपने पिता के समय से जहां पर काबिज थे उसी पर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन बैय व बेचान करने का पूर्ण हक व अधिकार है। प्रार्थीगण ने महज अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए दावा व दरख्वास्त पेश की है। प्रार्थीगण ने अपनी सुविधा व जरूरत के मुताबिक पूर्व में भूमि विक्रय कर रखी है तथा भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है तो वह अन्य खातेदार को उसके हिस्से की भूमि को रहन बैय करने से पाबंद नहीं करवा सकता है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टांत के रूप में वकील अप्रार्थीगण ने आरआरडी–14.11.2018, आरआरडी–14.11.2008, आरआरडी–14.02.2020, आरआरडी 1994, आरआरडी 1999 व आरआरडी 1987 पेश की।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। चूंकि प्रार्थीगण का अर्जीदावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें वर्तमान राजस्व रिकार्ड जो पत्रावली में सलंग्न है में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार है। सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण किसी विशेष भू भाग को बेचान नहीं कर सकता है। ऐसे में निषेधाज्ञा की बावत प्रार्थी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है। अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। प्रार्थीगण ने अपने दावा व दरख्वास्त में किसी भी प्रकार का कोई घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा गया है। यदि व्यादेश नही दिया जाता है तो अप्रार्थीगण वादभूमि के किसी अच्छे भू–भाग को

Pradeep

Scanned with CamScanner

किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर सकता है। ऐसे में प्रार्थीगण को असुविधा होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थीगण का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है। यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी परन्तु अप्रार्थीगण को अपनी पारिवारिक जायज जरूरत हेतु ऋण आदि की जरूरत रहती है जिसके लिए यदि अप्रार्थीगण के0सी0सी0 बनवाकर अपने हिस्से की भूमि को रहन करता है तो प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम व द्वितीय बिन्दू साबित होने के कारण तथा तृतीय बिन्दु पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायालय द्वारा विधिसंगत समझा जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही मौजा चक 8 जे0एस0एल0 के खाता सं0 158/91 के मु0न0 86 कि0न0 11, 20, 21, मु0न0 87 कि0न0 2, 3, 7 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0न0 98 कि0न0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, मु0न0 99 कि0न0 1/1, 1/2, मु0न0 103 कि0न0 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु0न0 104 कि0न0 18 ता 23 की कुल 8.2740है0 मय रास्ता व खाला तथा ग्राम भिरानी के खाता सं0 251/142 के मु0न0 393 कि0न0 5, 6, 15, 16, मु0न0 394 कि0न0 1 ता 20, मु0न0 395 कि0न0 1, 2/1, 2/2, 3 ता 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, मु0न0 462 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, मु0न0 463 कि0न0 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15 की कुल 11.8910है0 मय रास्ता की वादभूमि में प्रार्थीगण राजकुमार, हवासिंह, गोविन्द व सत्यवान तथा अप्रार्थी सं0 1 गोपाल व अप्रार्थी सं0 2 निहालसिंह को ताफैसला पाबन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादभूमि भूमि को बैय न करे तथा साथ ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने अपने हिस्से की वादभूमि को बैंक रहन के लिए स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner